

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: एफ-4(ई)II / एपीओ/अलेसे-III /

दिनांक:

आदेश

राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा के निम्नांकित लेखाकर्मियों की उनके नाम के सामने अंकित आदेशों की प्रतीक्षा अवधि को राजस्थान सेवा नियमों के नियम 7(8)(III) के अन्तर्गत वित्त विभाग को भेज गई एकल पत्रावली पर वित्त विभाग ने डायरी संख्या 1197 दिनांक 06.02.2012 पर अनुमोदित कर वेतन आहरण की स्वीकृति प्रदान की है। अतः आदेशों की प्रतीक्षा अवधि का वेतन भुगतान कॉलम संख्या 6 में अंकित विभाग/कार्यालय से किये जाने की स्वीकृति एतद्वारा दी जाती है:-

क्र.सं	नाम लेखाकर्मी	आदेशों की प्रतीक्षा अवधि जो नियम की गई		विभाग/कार्यालय जहाँ से वेतन का भुगतान किया जा
		कब से	कब तक	
1	2	4	5	6

सहायक लेखाधिकारी

1.	सुरेश कुमार शर्मा	22-11-11	26-12-11	अधीनस्थ अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, पीएमसी, चूरु
2.	उम्मेद सिंह	21-11-11	26-12-11	अतिरिक्त निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग (साधारण बीमा) जयपुर

निदेशक

क्रमांक: एफ-4(ई)II / एपीओ/अलेसे-III / 12991-99

दिनांक: 16-2-12

प्रतिलिपि- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

- कलक्टर, चूरु
- सचिव, राजस्थान कृषि विपणन बोर्ड, जयपुर
- अधीनस्थ अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, पीएमसी, चूरु को भेजकर लेख हैं कि सम्बन्धित लेखाकर्मी का गत भुगतान प्रमाण पत्र के अनुसार आदेशों की प्रतीक्षा अवधि के वेतन का भुगतान करावे।
- अतिरिक्त निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग (साधारण बीमा) जयपुर को भेजकर लेख हैं कि सम्बन्धित लेखाकर्मी का गत भुगतान प्रमाण पत्र के अनुसार आदेशों की प्रतीक्षा अवधि के वेतन का भुगतान करावे।
- प्रभारी, एनआईसी वित्त भवन, जयपुर को आदेश वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु
- डेस्क ऑफिसर कार्मिक(अलेसे-प्रथम)
- श्री सुरेश कुमार शर्मा, सहायक लेखाधिकारी, माध्यमिक शिक्षा परिषद, चूरु को निर्देश दिये जाते हैं कि वे अपना गत भुगतान प्रमाण पत्र सम्बन्धित विभाग/कार्यालय को प्रस्तुत करें एवं प्राप्त भुगतान की सूचना भिजवावे।
- श्री उम्मेद सिंह, सहायक लेखाधिकारी, कार्यालय अतिरिक्त निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग (साधारण बीमा) जयपुर
- निजी सहायक, निदेशक
- निजी पत्रावली

संयुक्त निदेशक (कार्मिक-1)